रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 36] शिमला, शनिवार, 1 अक्तूबर, 1988/9 आश्विन, 1910 [संख्या 40

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	864—868 तथा 881—882
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	868—870
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	870
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	...
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	871—881
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	...
—	अनुपूरक	...

1 अक्तूबर, 1988/9 आश्विन, 1910 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :-

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या श्रम (1) 9/84, दिनांक 6 अगस्त, 1987.	श्रम, रोजगार एवं मुद्रण विभाग	The Himachal Pradesh Labour and Employment Department Class-II (Gazetted) Services Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 1988.
संख्या पब-12/74/71 (भाग 3), दिनांक 10 अगस्त, 1988.	लोक सम्पर्क विभाग	हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग, उप-निदेशक (राजपत्रित) (प्रथम वर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1988
संख्या लो.नि. (ख) 7(1) 108/87, दिनांक 26 सितम्बर, 1988.	लोक निर्माण विभाग	जिला सिरमौर में नारग-शोंछघाट सड़क के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
संख्या पी.सी.एन.-एस.एम. आर. (8) 12/83, दिनांक 23 सितम्बर, 1988.	कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन	जिला सिरमौर के विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम पंचायत शलाना (राजगढ़) द्वारा सहविकल्पित महिला पंच के नाम का प्रकाशन।
संख्या 8-92(पंच)/78-III-1557-88, दिनांक 16 सितम्बर, 1988.	कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन	जिला सोलन के विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत पडग, बसाल और आंजी द्वारा सहविकल्पित महिला पंच के नाम का प्रकाशन।

2399-राजपत्र/88-1-10-88—1,268.

मूल्य : 1 रुपया ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
PERSONNEL (A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th August, 1988

No. 3-2/68-DP-Apptt-Vol-III.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Kr. Shamsher Singh, I.A.S., Commissioner-*cum*-Secretary (Vigilance and Home) to the Government of Himachal Pradesh shall also hold the additional charge of the post of Commissioner-*cum*-Secretary (Personnel, SAD, GAD, AR, APE and FA, Transport, Labour Employment and Printing and Stationery) to the Government of Himachal Pradesh *w.e.f.* 12-7-1988 during the leave period of Shri G.S. Chambial, I.A.S.

The Governor. Himachal Pradesh is further pleased to order that Kr. Shamsher Singh, Commissioner-*cum*-Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall cease to function as Commissioner-*cum*-Secretary in the Departments of Transport, Labour Employment and Printing and Stationery *w.e.f.* 8-8-1988 *i.e.* the date on which the additional charge of these Departments was entrusted to Mrs. Rajendar Bhattacharya, I.A.S., Commissioner-*cum*-Secretary (Agriculture).

By order,
B. C NEGI,
Chief Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002,14, सितम्बर, 1988

संख्या 19-5/87-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्रीमती कांता देवी भूतपूर्व लिपिक तथा अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है ;

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं: —

"Whether the termination of services of Smt. Kanta Devi by the Superintending Engineer (Electricity), Himachal Pradesh State Electricity Board Hamirpur, is legal and maintainable. If not, to what relief and amount of compensation Smt. Kanta Devi is entitled ?"

शिमला-2, 15 सितम्बर 1988

संख्या 19-12/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम कर्मचारी संघ तथा वैरा, स्यूल प्रोजैक्ट, एन0 एच0 पी0सी0 सुरांगनी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करन के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते है:—

"Whether the following demands of the Rastriya Jal Viduyut Urja Nigam Karmchari Sangh are legal. If so, to what relief and amount of compensation the affected workmen are entitled?"

1. Promotion of ignored para medical staff.
2. Promotion of ignored W/charged staff.
3. Revision of pay scale of Smt. K. T. Annamma Lab./ Techn.
4. Promotion case of Shri Ravinder Plah W/Asstt.
5. The catagorised and name-wise list of those employees who are to be retained in the O &M phase be circulated.
6. The anomally under the rationalization of scale and posts be set right.
7. Benefits of the contract period of Shri K. K. Jain Phy. and Smt. Srishtha Thakur.

शिमला-2, 15 सितम्बर, 1988

संख्या 19-2/87-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री टक सिंह फैरो आप्रेटर तथा वैरा-स्यूल प्रोजैक्ट सुरांगनी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करनें के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं:—

"Whether the demand of Shri Tek Singh Ferrow Operator by claiming his appointment as a Ferrow Operator in the pay scale of Rs. 260—430 with effect from 29-2-80 is legal and maintainable, If so, to what relief and amount of compensation Shri Tek Singh is entitled ?"

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 13 सितम्बर, 1988

संख्या सिंचाई 11-1-8/85-मण्डी.—अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: गांव टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी जिला मण्डी को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता भू-अर्जन, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला: मण्डी तहसील: सदर

गांव	खसरा सं0	क्षेत्र बी0	वि0	बिस्वां0
टिल्ली	46/1	0	1	15

शिमला-2, 16 सितम्बर, 1988

संख्या पी0 डब्ल्यू0 (पी0 एच0) 11-25/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव लम्बी धार, तहसील व जिला शिमला में ढली सन्जौली पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों और उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला: शिमला तहसील: शिमला

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	बिस्वां0
1	2	3	4	5
लम्बीधार	32/1	0	7	0
	41/1	0	1	0
	42/1	0	3	0
	43/1	0	4	0
	70/27/1	0	2	0
किता ..	5	0	17	0

शिमला-2, 16 सितम्बर, 1988

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (पी0 एच0) 11-30/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ढली तहसील व जिला शिमला में ढली सन्जौली पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला: शिमला तहसील: शिमला

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	बिस्वां0
ढली	26/1	0	1	0
	181/142/132/25/1	0	1	0
	182/142/132/25/1	0	1	0
	182/142/132/25/2	0	2	0
किता ..	4	0	5	0

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 महोपात्र,
सचिव।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 6 सितम्बर, 1988

संख्या विद्युत-छ(5)-10/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मुहाल काण्डी नं0 ह0 (45), तहसील सलूणी, जिला चम्बा में चमेरा जल विद्युत परियोजना के जलाशय क्षेत्र में विलय हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों,

उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस द्वारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिल फूट्स, डाकखाना सुलतानपुर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: चम्बा तहसील: सलूणी

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	विस्वां0
काण्डी (45)	1144	0	0	8
	1145	0	7	0
	1146	0	0	9
	1147	0	4	0
	कित्ता . . 4	0	11	17

शिमला-2, 6 सितम्बर, 1988

संख्या विद्युत-छ(5)-45/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः उप-ग्राम शागों व सुरचों, में भावा, संदर्भ परियोजना के रोप-वे के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, को जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और इस द्वारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, थिसल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: किन्नौर तहसील: निचार

उप-ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टयर में		
शागों	325/1	0	00	18
	386/1	0	00	77
सुरचों	411/1	0	00	88
	315/1	0	10	88
	596/1	0	00	72
	654/1	0	01	49
	688/1	0	00	72
	कित्ता . . 7	0	15	64

शिमला-2, 17 सितम्बर, 1988

संख्या विद्युत (छ) 5-43/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मुहाल चौहड़ा, ह0 व0 नं0 64 तहसील भटियात, जिला चम्बा में डैम का मल्वा (River bed excavation muck) के निकालने के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फूटस, डाकखाना सुलतानपुर, जिला चम्बा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिल फूटस, डाकखाना सुलतानपुर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : भटियात

मुहाल	खसरा संख्या	क्षेत्र बी0	वि0
चौहड़ा-64	2	4	7
	3	4	19
	कित्ता . . 2	9	6

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 27 अगस्त, 1988

संख्या लो0 नि0(ख0) 7 (1) 12/86.—यतः केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र के प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) के अन्तर्गत भूमि अर्जन के कार्य, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कृषि एवम् ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का0आ0-782(अ), दिनांक 25-10-1985 द्वारा सुपुर्द किए गए हैं ।

2. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को बॉर्डर रोड आरगेनाईजेशन के व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव प्रद्धवाल (28) पर किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा में संसासी नाला किलार-थरोट सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ।

3. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट) (सिविल) सब-डिविजन किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा की उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट (सिविल), सब-डिविजन केलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Lok-Nirman (Kh)* 7 (1)12/86, *dated* 27-8-88 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

*Shimla-*2, *the* 27*th August*, 1988

No. PBW (B&R)(B)7(1)12/86.—Whereas the matters relating to the requisition of land under Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) for the purpose of the Central Government have been entrusted to the State Government of Himachal Pradesh by the Central Government, *vide* notification No. Ka. A. 782(A), dated 25-10-1985, issued by the Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development under clause (1) of Article 258 of the Constitution of India.

2. Whereas it appears to the Governor. Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Government of Himachal Pradesh at the expense of Border road organisation for a public purpose. namely Sansasi Nala Killar-Throt road in Village Pradhwal (28), Pargana Killar, Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.), it is hereby declared that land described in the specification below is required for the above purpose.

3. The declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition-*cum*-S. D. O. (Civil), Pangi, District Chamba, Himachal Pradesh P.W.D. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

4. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition-*cum*-S.D.O. (Civil), Pangi, District Chamba, H. P. P. W. D.

विवरणी
SPECIFICATION

जिला : चम्बा — तहसील : पांगी
District: CHAMBA — *Tehsil*: PANGI

गांव Village	खसरा नं0 Khasra No.	क्षेत्र Area बी0 Big.	विo Bis.
1	2	3	4
प्रधवाल	520/1	1	8
हदबन्दी नं0 28	516	0	4
PRADHWAL	517	0	2
HADBANDI No. 28	515/1	0	2
	505	0	3
	506/1	0	4
	472/1	0	17
	470/1	0	17
	412	0	2
	504/1	0	8
	475/1	0	18
	348/1	0	2
	415	0	2
	33	0	4
	34	0	4
	30	0	8
	560/1	1	5
	559	0	6
	35	0	18
	100/1	0	16
	100/2	0	11
	473/1	0	1
	471/1	0	2
	21/1	0	14
	24/1	0	17
	97	0	8
	514/1	0	9
	479/1	0	1
	384	0	1
	385	0	0
		18	Biswansi
	512/1	0	1
	383/1	0	3
	418	0	4
	25/1	0	5
	414	0	8
	417	0	3
	420/1	0	13
	416/1	0	4
	459/1	0	2
	31/1	0	9
Kitta ..	40	15	7

शिमला-171002, 5 सितम्बर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख0) 7 (1) 43/88.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: गांव अजनौली, तहसील व जिला ऊना में नंगल डैम-तलवाड़ा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, ऊना, जिला ऊना के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

[*Authoritative English text of this Government notification No.Lok Nirman (Kh.)* 7(1) 43/88, *dated 5th September*, 1988 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

*Shimla-*2, *the 5th September*, 1988

No. Lok Nirman (Kh) 7(1)43/88.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is likely to be required by the Himachal Pradesh Government at public expense for a public purpose, namely for the construction of Nangal-Dam to Talwara Railway Line in Village Ajnauli H. B. No. 203, Tehsil and District Una, Himachal Pradesh, it is hereby notified that the land is described below in the specification is likely to be acquired for the above purpose.

2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

3. In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to

authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

4. Any person interested, who has any objection to acquisition of the aforesaid land in the locality may, within 30 days from the date of publication of the notification, may file an objection in writing before the Sub-Divisional Officer (Civil)-*cum*-Land Acquisition Collector, Una, District Una.

विवरणी

SPECIFICATION

जिला : ऊना — तहसील : ऊना

District: UNA — *Tehsil:* UNA

गांव Village	खसरा नं0 Khasra No.	क्षेत्र हैक्टेयरों में Area in Hectares		
1	2	3	4	5
अजनौली	791/1	0	00	42
हदबस्त नं0 203	792/1	0	01	50
AJNOULI	793/1	0	00	38
HB No. 203	1175/1	0	00	02
	1177/1	0	03	53
	1178/1	0	00	44
	1179	0	01	16
	1180	0	02	06
	1181/1	0	26	98
	1182/1	0	08	68
	1183/1	0	00	35
	1184/1	0	00	95
	1185/1	0	06	73
	1186/1	0	60	78
	1187/1	0	00	71
	1193/1	0	01	44
	1194/1	0	04	57
	1195/1	0	03	84
	1196/1	0	01	02
	1197	0	00	96
	1198/1	0	00	27
	1199/1	0	00	65
	1200/1	0	02	69
	1209/1	0	01	91
	1210/1	0	00	27
Kita ..	25	0	71	71

By order,
Sd/-
Secretary.

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th September, 1988

No. Rev. (A) F-2-1/88.—To review the progress of monitoring of plan schemes, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a monitoring Committee of the Revenue Departments as under:

1. Secretary (Revenue) H. P. — *Chairman*
2. Director of Land Records, H. P. Shimla-2. — *Member*
3. Settlement Officer, Shimla and Kinnaur/Kangra. — -do-
4. Deputy Secretary (Revenue-II), H. P. Sectt. — -do-

The monitoring Committee shall meet once in a month.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

Office of the District Magistrate, Kangra At Dharamshala

NOTIFICATION

Dharamshala, the 27th July, 1988

No. 711-75/LA.—Whereas I am satisfied that the road leading to Jawalaji Temple from the Jawalamukhi Bus Stand is unfit and unsafe for vehicular traffic being narrow and not fit for taking big vehicles;

And whereas it is felt necessary to restrict this road for all vehicular traffic in the public interest with immediate effect.

Now, therefore, I, P. C. Dogra, I. A. S., District Magistrate, Kangra in exercise of the powers conferred upon me under section 74 of Motor Vehicles Act, 1939 do hereby order that road from Jawalamukhi Bus Stand to Notified Area Committee Office is declared as restricted road and no vehicle can ply without specific permit from the President, Notified Area Committee, Jawalamukhi. The road between Notified Area Committee Office to Jawalamukhi Temple will be treated as sealed portion and no vehicular traffic movement will be allowed without specific permit from the Sub-Divisional Magistrate, Dehra. For loading and unloading of trucks time at night will be fixed by the Sub-Divisional Magistrate, Dehra. This order will come into force with immediate effect.

P. C. DOGRA,
District Magistrate,
Kangra.

कार्यालय उपायुक्त, जिला शिमला

अधिसूचना

शिमला 1, 17 सितम्बर, 1988

संख्या पी0 सी0 एच0 एस0 एम0 एल0 (3) 20/85-II. मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा-10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला शिमला के निम्नलिखित पदाधिकारी के त्यागपत्र को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की सिफारिश के आधार पर तुरन्त स्वीकृत करता हूं, तथा पंचायत में इसके स्थान को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्र0 सं0	नाम पदाधिकारी	विवरण
1.	श्री बाल कृष्ण, प्रधान, ग्राम पंचायत, राम नगर, तहसील जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला।	प्रधान

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त, जिला शिमला।

Office of the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla district

OFFICE ORDERS

Shimla-2, the 7th June, 1988

No. 3427.—Whereas the Suni CMP Society has ceased functioning for the last five years.

Whereas the Inspector, Co-operative Societies Mashobra has also recommended for placing the society under winding up order.

Whereas the undersigned is satisfied that there are no chances of the above society for becoming viable or potentially viable in the near future and there are no chances for its proper functioning.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise the powers vested in me under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order that the society be wound up.

Shimla-2, the 7th June, 1988

No. 3387. Whereas the Chautha CMP Society Ltd., Thaila has ceased functioning for the last five years.

Whereas the Inspector Co-operative Societies, Mashobra has also recommended for placing the society under winding up orders.

Whereas the undersigned is satisfied that there are no chances of the above society for becoming viable or potentially viable in the near future and there are no chances for its proper functioning.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise the powers vested in me under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby orders that the society be wound up.

Shimla-2, the 7th June, 1988

No. 3377.—Whereas the Koti CMP Society Ltd., Dhalli has ceased functioning for the last five years.

Whereas the Inspector Co-operative Societies Mashobra has also recommended for placing the society under winding up orders.

Whereas the undersigned is satisfied that there are no chances of the above society for becoming viable or potentially viable in the near future and there are no chances for its proper functioning.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers vested in me under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order that the society be wound up.

Shimla-2, the 9th June, 1988

No. 3558.—Whereas an order under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) for winding up the Majthai CAS Ltd. Majthai, Tehsil and District Shimla has already been passed.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers conferred upon me under section 79 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) hereby appoint Sub-Inspector Co-operative Societies (Circle)Mashobra as liquidator of the said society with immediate effect.

The Sub-Inspector Co-operative Societies Mashobra appointed liquidator of the above society is delegated all the powers under section 80 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

He should take over the charge/possession of properties, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled within fifteen days from the receipt of this order and submit the charge report to this office in specific time.

He should complete the liquidation proceeding of this society within three months. Should not retain cash more than Rs. 20/- only.

Shimla-2, the 9th June, 1988

No. 3536. Whereas the Challi CAS Society Ltd., Challi has ceased functioning for the last five years.

Whereas the Inspector Co-operative Societies Mashobra has also recommended for placing the society under winding up orders.

Whereas the undersigned is satisfied that there are no chances of the above society for becoming viable or potentially viable in the near future and there are no chances for its proper functioning.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers vested in me under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order that the above society be wound up.

Shimla-2, the 9th June, 1988

No. 3583. Whereas the Basantpur CAS Society Limited, Basantpur has ceased functioning for the last five years.

Whereas the inspector Co-operative Societies, Mashobra has also recommended for placing this society under winding up orders.

Whereas the undersigned is satisfied that there are no chances of the above society for becoming viable or potentially viable in the near future and there are no chances for its proper functioning.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers vested in me under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order that the society be wound up.

Shimla-2, the 9th June, 1988

No. 3568.—Whereas the Gharechi CAS Society Limited, Gharechi has ceased functioning for the last five years.

Whereas the Inspector, Co-operative Societies, Mashobra has also recommended for placing this society under winding up order.

Whereas the undersigned is satisfied that there are no chances of the above society for becoming viable or potentially viable in the near future and there are no chances for its proper functioning.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers vested in me under section 78 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order that the society be wound up.

Shimla-2, the 9th June, 1988

No. 3543.—Whereas an order under section 78 of the H. P. State Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) for winding up the Chally CAS Ltd., Chally, Tehsil and District Shimla has already been passed.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers conferred upon me under section 79 of the H. P. State Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) hereby appoint Sub-Inspector, Co-operative Societies (Circle), Mashobra as liquidator of the said society with immediate effect.

The Sub-Inspector, Co-operative Societies, Mashobra appointed liquidator of the above society is delegated all the powers under section 80 of the H. P. State Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

He should take over the charge possession of properties, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled within fifteen days from the receipt of this order and submit the charge report to this office in specific time.

He should complete the liquidation proceeding of this society within three months. Should not retain cash more than Rs. 20/- only.

Shimla-2, the 9th June, 1988

No. 1604.- Whereas an order under section 78 of the H. P. State Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) for winding up the Gopul Dairy Farminig Society, Tehsil and District Shimla has already been passed.

Now, therefore, I, R. C. Garg, Assistant Registrar, Co-operative Societies, Shimla, District Shimla in exercise of the powers conferred upon me under section 79 of the H. P. State Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) hereby appoint Sub-Inspector, Co-operative Societies (Circle), Mashobra as liquidator of the said society with immediate effect.

The Sub-Inspector Co-operative Societies, Mashobra appointed liquidator of the above society is delegated all the powers under section 80 of the H. P. State Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

He should take over the charge possession of properties, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled within fifteen days from the receipt of this order and submit the charge report to this office in specific time.

He should complete the liquidation proceeding of this society within three months. Should not retain cash more than Rs. 20/- only.

R. C. GARG,
Assistant Registrar,
Co-operative Societies,
Shimla District.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

REVENUE DEPARTMENT

"D" SECTION

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 8th September, 1988

No. Rev-O (G)1-2/80. In exercise of the powers vested in him under para 3.1 of the Himachal Pradesh Land Record Mannual and para 278 of the Punjab Land Administration Mannual as applicable to Himachal Pradesh, the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh is pleased to reorganise the Patwar Circles and the Field Kanungo Circle of Tehsil Dodra Kawar in Shimla district as per Annexure "A".

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of patwar circle	No. of Had-bast	Name of estates	Total Khasra Nos.	Total Khata No.	Total khat-auni No.	Area in hec.		Total area	Kanungo circle
							Cultiva-ted	Uncul-tivated		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dodra	11	Dodra Avail	1,276	127	333	115	206	321	Dodra Kawar
		12	Dodra Iyan	1,076	116	291	117	160	277	
		10	Chansal Dhar	20	1	1	—	5,103	5,103	
		9	DPF Batrigad	3	1	1		730	730	
		13	Assanda	1,809	132	408	163	337	500	
			Total:	4,184	377	1,034	395	6,536	6,931	
2.		7	Kitwari	2,487	215	694	159	475	634	-do-
		8	Dhanderwari	1,907	229	620	135	392	527	
		14	Ghurmundhar	6	1	1	—	1,324	1,324	
		15	DPF Chanaun	135	18	52	5	389	394	
		16	Bhararsdhar	25	2	4	1	12,696	12,697	
			Total:	4,560	465	1,371	300	15,276	15,576	
3.	Jiskoon	1	Indirasen Dhar	23	4	10	3	1,698	1,701	-do-
		2	Lambi Dhar	1	1	1	—	4,155	4,155	
		3	Jakha	1,286	98	278	135	220	355	
		4	DPF Pawa	1	1	1	—	101	101	
		5	DPF Dou	1	1	1	—	175	175	
		6	Jiskoon	1,872	127	428	139	297	336	
		17	DPF Pandhar	7	1		—	608	608	
		18	DPF Jakha	10	1	2	—	488	488	
		19	Pandhar	386	21	46	35	727	762	
		20	Davrati Dhar	7	3	3	—	5,410	5,410	
			Total:	3,594	258	772	312	13,879	14,191	
			Grand Total	12,338	1,100	3,177	1,007	35,691	36,998	

By order,
Sd/-
Financial Commissioner

भाग 4—स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Case No. 43/88

Date of hearing 8-11-1988

Vidya Devi wife of Shri Hamel Singh d/o Bal Singh, resident of village & P. O. Dunera, Tehsil Pathankot, District Gurdaspur . . Petitioner.

Versus

General public . . Respondent.

To

The general public.

Whereas in the above noted case the above named petitioner has filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of the assets of Shri Puran Singh son of Shri Bal Singh, resident of Indora, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh, who died on 16-6-1988 at Indora.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any to the grant of such Succession Certificate in this court on 8-11-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex-parte*.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of September, 1988.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri S. L. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Kangra, District Kangra

Succession Act No. 4 of 1988

S/Shri Jeetender Singh son of Waryam Singh, resident of village Rasuh, P. O. Ranital, Tehsil and District, Kangra.

Versus

General public.

To

The general public.

Whereas in the above named petitioner has filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of succession certificate in respect of the estate of late of Shri Waryam Singh son of Mansha Ram, resident of village Rasuh, Tehsil and District Kangra who died on 1-2-1988.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of the illaqua and the kins of the deceased to file objections, if any to the grant of such succession certificate to the above named petitioner, in this court on 15-11-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court on this 4th day of September, 1988.

Seal.

S. L. SHARMA,
Sub-Judge 1st Class,
Kangra, District Kangra.

In the Court of Shri Ravinder Parkash, Sub-Judge 1st Class (I), Palampur, District Kangra

In Case No. Succession Act 4 of 1988

1. Sawarna Devi wd/o Bhola Ram
2. Sunil Kumar (minor) son } of Bhola Ram through
3. Basu Dev (minor) son } their mother Sawarna
4. Sonia (minor) daughter } Devi all residents of Tika Aima Ghugger, Tehsil Palampur, Kangra.
5. Smt. Shanti Devi w/o Tikya Ram, resident of Phagwara Road Hoshiarpur near C.I.A. staff (mother of Bhola Ram)

. . Petitioners.

Versus

General public.

Petition under section 372 of Indian Succession Act, 1925 in the matter of Succession and Goods of late Shri Bhola Ram s/o Tikya Ram, resident of Tika Aima Ghugger, Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh.

To

The general public.

Whereas in the above noted case the petitioner (s) have applied for the grant of succession certificate in respect of accounts. (A) A sum of Rs. 75,000/- plus interest lying deposited in P.N.B., Palampur in a fixed deposit *i.e.* FDR No. 3768/14 Branch Sl. No. 55/88 plus interest. (B) A sum of Rs. 4457.50 paise is lying deposited in A/c No. 14172 of P.N.B. (Saving Account) (Total amount comes to Rs. 79457.90 paise plus interest).

Notice is hereby given to the general public, relations and kinsmen of the deceased Shri Bhola Ram above said that if anybody has got any objection, the same may be filed in this court on or before 11-10-1988 at 10 A.M. personally, through pleader or an authorised agent, failing which the petition shall be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and seal of the court this 8-9-1988.

Seal.

RAVINDER PARKASH,
Sub-Judge, 1st Class (I),
Palampur, District Kangra.

ब अदालत श्री हरि सिंह, आई० ए० एस०, आयुक्त, शिमला मण्डल, शिमला-2

मुकद्दमा रेवेन्यु रिवीजन नं० 123/88

1. श्री गंगा राम, 2. श्री शिव राम सुपुत्रान श्री परमी, गांव बोंईनाल, डाकघर व उप तहसील ननखड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला

. . वादीगण ।

बनाम

1. श्री गोकल राम, 2. भगत राम, सुपुत्रान ठाकुर दास, 3. जिया लाल सुपुत्र शामा नन्द सभी निवासी गांव भोरजा डाकघर ननखड़ी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला तथा गांव गोरी करागला, उप-तहसील ननखड़ी

. . प्रतिवादीगण ।

रेवेन्यु रिवीजन विरुद्ध आदेश दिनांक 30-5-88 कुलैक्टर रामपुर बुशैहर ।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी नं० 3 श्री जिया लाल सुपुत्र शामा नन्द

को समन भेजे गये थे, परन्तु समन बार-बार अदम तामील वापिस आ जाते है बताया जाता है कि वह कई दिनों से लापता है। अदालत को अब यकीन हो गया है कि फरीक दोयम में श्री जिया लाल की तामील होनी कठिन है।

अतः इस इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा में तारीख 7-11-88 को मुकाम शिमला में मेरे कोर्ट में 10 बजे सुबह असालतन या वकालतन या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा हाजिर आवें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और उक्त मुकद्दमा का निर्णय किया जायेगा।

आज दिनांक 13-9-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह,
आयुक्त,
शिमला मण्डल, शिमला-2।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मोहन लाल सुपुत्र रघू दास, निवासी रनोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला ..फीक अव्वल।

बनाम

साधारण जनता ..फीक दोयम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पन्जीयन हेतु प्रार्थना-पत्र

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सोहन लाल सुपुत्र श्री रघू दास निवासी रनोट, तहसील रामपुर ने अपने सुपुत्र हरीश कुमार के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है। आवेदक का ब्यान है कि उसके सुपुत्र हरीश कुमार का जन्म 3-1-1986 को ग्राम रनोट में हुआ था, परन्तु इसका पंजीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजर आकर पश करे अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पंजीकृत किया जाएगा।

आज दिनांक 13-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मु0 अमर दासी पत्नी जय राम, निवासी बघाल, परगना सराहन, तहसील रामपुर ..फीक अव्वल।

बनाम

साधारण जनता ..फीक दोयम।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अमर दासी पत्नी जय राम, निवासी बघाल, रामपुर ने अपने सुपुत्र सुभाष चन्द के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है आवेदक/आवेदका का ब्यान है कि उसके सुपुत्र सुभाष चन्द का जन्म 25-9-84 को ग्राम बघाल, सराहन में हुआ था, परन्तु इसका पजीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पन्जीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पंजीकृत किया जायेगा।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मडण्लाधिकारी, प्र0 रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बागरू राम सुपुत्र कंठी राम, निवासी चदाली, परगना सराहन, तहसील रामपुर, जिला शिमला ..फीक अव्वल।

बनाम

साधारण जनता ..फीक दोयम।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री बागरू राम सुपुत्र श्री कंठी राम, निवासी चदाली ने अपने सुपुत्र मंगत राम के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है आवेदक का ब्यान है कि उसके सुपुत्र मंगत राम का जन्म 5-4-86 को ग्राम चदाली में हुआ था, परन्तु इसका पन्जीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पंजीकृत किया जायेगा।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

दुर्गा देव सुपुत्र जीवा नन्द, निवासी मझाली, तहसील रामपुर, जिला शिमला ..फीक अव्वल।

बनाम

साधारण जनता ..फीक दोयम।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया

जाता है कि श्री दुर्गा देव सुपुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी मझाली ने अपनी सुपुत्री ममता के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है आवेदक का ब्यान है कि उसकी सुपुत्री ममता का जन्म 2-12-84 को ग्राम मझाली में हुआ था, परन्तु इसका पन्जीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है ।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पन्जीकृत किया जाएगा ।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला ।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

देवी सिंह सुपुत्र पदम दास, निवासी अड्डू, परगना वासी मस्तगढ़, सब-तहसील ननखरी ..फ्रीक अव्वल ।

बनाम

साधारण जनता ..फ्रीक दोयम ।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री देवी सिंह सुपुत्र श्री पदम दास, निवासी अड्डू ने अपनी सुपुत्री 1. कु0 ममता देवी, 2 कु0 मनीशा के नगरपालिका/ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है आवेदक का ब्यान है कि उसकी सुपुत्रियां 1. कु0 ममता देवी का जन्म 12-3-84 तथा 2. कु0 मनीशा का जन्म 21-4-87 को ग्राम अड्डू में हुआ था, परन्तु इनका पंजीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है ।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इन नामों के पन्जीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पन्जीकृत किया जाएगा।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । जे0सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला ।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कृष्ण गोपाल सुपुत्र ईश्वर नन्द, निवासी रांवी, तहसील रामपुर, जिला शिमला ..फ्रीक अव्वल

बनाम

साधारण जनता ..फ्रीक दोयम ।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचामती राज अधिनियम के अन्तर्गत पन्जीयन हेतु प्राथना-पत्र ।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया

जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुपुत्र ईश्वर नन्द, निवासी रांवी ने अपनी सुपुत्री अनुराधा के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है। आवेदक का ब्यान है कि उसकी सुपुत्री अनुराधा का जन्म 2-3-84 को ग्राम रांवी में हुआ था, परन्तु इसका पन्जीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है ।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पन्जीकरण करने के बारे में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पन्जीकृत किया जाएगा ।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर । जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला ।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

हरदयाल सुपुत्र अमर सिंह, निवासी अड्डू, सब-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..फ्रीक अव्वल ।

बनाम

साधारण जनता ..फ्रीक दोयम ।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पन्जीयन हेतु प्रार्थन-पत्र ।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री हरदयाल सुपुत्र अमर सिंह, निवासी अड्डू ने अपने सुपुत्र रिण्टू के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है । आवेदक का ब्यान है कि उसके सुपुत्र रिण्टू का जन्म 11-4-85 को ग्राम अड्डू में हुआ था, परन्तु इसका पंजीयन न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है ।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पन्जीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पन्जीकृत किया जायेगा ।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला ।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

केशवा नन्द सुपुत्र राम साई, निवासी सनारसा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..फ्रीक अव्वल ।

बनाम

साधारण जनता ..फ्रीक दोयम ।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित

किया जाता है कि श्री केशवा नन्द सुपुत्र राम साई, निवासी सनारसा ने अपनी सुपुत्री सोनिका के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है। आवेदक का ब्यान है कि उसकी सुपुत्री सोनिका का जन्म 10-10-86 को ग्राम सनारसा में हुआ था, परन्तु इसका पन्जीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अत: साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पंजीकृत किया जाएगा।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
(रामपुर बुशैहर) जिला शिमला।

ब अदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी प्र0, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

विद्या देवी पत्नी सोनम नेगी, निवासी घराट नाला सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . . फरीक अव्वल।

बनाम

साधारण जनता . . . फरीक दोयम।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बावत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विद्या देवी पत्नी सोनम नेगी, निवासी घराट नाला सराहन ने अपने सुपुत्रों 1. तन्जीम छोम्बे, 2. तन्जीन छोटा के नगर पालिका/ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है। आवेदिका का ब्यान है कि उसके सुपुत्र 1. तन्ज़ीम छोबे का जन्म 9-12 84, तथा 2. तनजीन छोटा का जन्म 8-12-86 को घराट नाला सराहन में हुआ था, परन्तु इसका पंजीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अत: साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पन्जीकृत किया जायेगा।

आज दिनांक 16-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी प्र0,
रामपुर (बुशैहर) जिला शिमला।

ब अदालत श्री आर0 आर0 धीमान, सब-रजिस्ट्रार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री भगत राम सुपुत्र लाला, वासी टीका घंगोटा (नण्डल) मौजा ढटवाल तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर। . . सायल।

बनाम

1. आम जनता
2. श्रीमती खिलो देवी वालदा, 3. श्रीमती सरोज कुमारी वालदा, 4. सुरेश कुमारी नाबालग दुख्तान भगत राम, वासी टीका घंगोटा, तप्पा ढटवाल (नन्डल), तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर. . मसूलअलहम।

उनवान:—दरख्वास्त जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट बराये रजिस्ट्रेशन करने वसीयतनामा दिनांक 17-1-88 मुतवफी भगत राम, वासी घंगोटा (नन्डल)।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयतनामा के पंजीकृत होने में कोई एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 21-10-88 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आवें गैर हाजिरी की सूरत में वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 9-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 आर0 धीमान,
सब-रजिस्ट्रार,
बड़सर, जिला हमीरपुर।

ब अदालत जनाब श्री आर0 एन करोल, तहसीलदार व अख्त्यारात सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर

मुकद्दमा नं0 15 आफ 1988

श्री नरैण सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, सुपुत्र दरोगा राम, वासी मझोग खास मौजा मझोग सुलतानी, तहसील व जिला हमीरपुर . . सायल।

बनाम

आम जनता . . मसूलअलैहन।

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत बराये तस्दीक कराने वसीयतनामा तहरीर शुदा दिनांक 14-5-88 मुतवफी श्री दुनी चन्द सुपुत्र दरोगा राम, वासी मझोग खास, तप्पा मझोग सुलतानी, तहसील व जिला हमीरपुर।

नोटिस बनाम आम जनता

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि अगर किसी को मुतवफी श्री दुनी चन्द की वसीयत को भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 40/41 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत हजा में असालतन या वकालतन दिनांक 5-11-88 को सुबह 10 बजे हाजिर आवें अन्यथा दीगर कार्यवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-9-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 एन0 करोल,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर।

ब अदालत श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 3-टी/83 तकसीम अराजी खेवट नं0 205, खसरा नं0 250 रकबा 4-2 बीघा स्थित फाटी गडेंज, कोठी हिमरी तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू।

मोहना नन्द सुपुत्र श्री यज्ञ नन्द, निवासी व फाटी निरमंड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू।

बनाम

सर्वश्री दुरवासा नन्द, सतपाल सुपुत्र व सर्वश्रीमती सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, भरनी देवी पुत्रियां श्री यज्ञ नन्द, निवासी व फाटी निरमण्ड।

नोटिस बनाम

1. श्रीमती सरस्वती देवी सुपुत्री श्री यज्ञ नन्द, निवासी सुलतानपुर, जिला कुल्लू, 2. श्रीमती लक्ष्मी देवी सुपुत्री श्री यज्ञ नन्द, निवासी डालपुर, जिला कुल्लू, 3. श्रीमती भरनी देवी सुपुत्री श्री यज्ञ नन्द, डाकघर नगवाईं, जिला मण्डी।

मुकद्दमा उपरोक्त में श्रीमती सरस्वती देवी सुपुत्री यज्ञ नन्द व श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री यज्ञ नन्द, श्रीमती भरनी देवी सुपुत्री श्री यज्ञ नन्द, डाकघर नगवाई, जिला मण्डी को कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उपरोक्त प्रतिवादियों को तामील समन साधारण ढंग से न होने पा रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह बराये पैरवी मुकद्दमा उपरोक्त में इस अदालत में दिनांक 7-10-88 को प्रातः 10 बजे हाजिर आवें अनुपस्थिति की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

नोटिस हजा आज मिति 1-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लोकेन्द्र सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू, (हि० प्र०)।

न्यायालय श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

श्री केहरू राम सुपुत्र श्री चेवा, निवासी चकलोट, फाटी पोशना, कोठी कण्डी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ..प्रार्थी

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

दावा बराये रजिस्ट्री वसीयत जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908।

हरखाह उपरोक्त प्रतिवादीगण व हर खास व आम को बजरिया हजा इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने एक वसीयत भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 40-41 के अन्तर्गत इस न्यायालय में रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया है जोकि स्व० कोडी देवी वसीयत दहीन्दा ने अपने सुपुत्रों के केहरू राम व धर्म दास वगैरा के हक में दिनांक 10-12-84 को लिखी है। अतः हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस वसीयत के पंजीकरण के बारे कोई एतराज हो तो अदालत हजा में असालतन या वकालतन दिनांक 7-10-88 को सुबह 10 बजे पेश होवें गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

नोटिस हजा आज तिथि 1-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। लोकेन्द्र सिंह चौहान,
उप-रजिस्ट्रार, निरमण्ड।

ब अदालत श्री हरनाम सिंह ढटवालया, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : शेर सिंह सुपुत्र श्री पूनू राम, निवासी हरलोट, इलाका अनन्तपुर।

बनाम

सन्त राम सुपुत्र व श्रीमती कारजु, श्रीमती मंथरू सुपुत्री श्रीमती देवकू, विधवा मंगतू सुपुत्र पीरू, अमर सिंह, सन्तोष सुपुत्र व श्रीमती कृष्णी, श्रीमती अन्तो, श्रीमती बाला सुपुत्री श्रीमती प्रभा सुपुत्र श्री मंगतू, निवासी हरलोट इलाका अनन्तपुर।

दरख्वास्त इत्तकाल नं० 145 उपरोक्त मुकद्दमा में फ्रीक दोयम को इत्तकाल तस्दीक करवाने के लिए जबानी व तहरीरी इत्तलाह दी गई लेकिन कोई भी हाजिर बराये तस्दीक इन्तकाल पटवार खाना में नहीं हुए। न्यायालय को इस सम्बन्ध में विश्वास हो चुका है कि फ्रीक दोयम को असान तरीका से इत्तलाह होनी मुश्किल है। अतः बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि फ्रीक दोयम मिति 17-10-1988 को बराये तस्दीक करवाने इन्तकाल हाजिर आवें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इन्तकाल तस्दीक कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरनाम सिंह ढटवालिया,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट जिला मण्डी।

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Case No. 18/1988

Date of hearing 11-10-1988

Shri Paramjit Singh s/o Shri Gurbax Singh s/o Shri Amar Singh, r/o Tikka Chhatehar, Village and P. O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, District Kangra
..Petitioner.

Versus

1. General Public, 2. Kaushlya Kaur aged 49 years w/o Shri Harbans Singh, 3. Harjeet Kaur widow of late Shri Joginder Singh, No. 2/3 c/o State Bank of India, Batwara, Sirinagar, J. & K., at present c/o Shri Paramjit Singh s/o Shri Gurbax Singh, r/o Tikka Chhatehr, village and P. O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, District Kangra, 4. Shri Mohan Singh son, 5. Shri Balbir Singh s/o late Gurbax Singh, r/o Tikka Chhatehr, village and P.O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, District Kangra. 6. Smt. Basant Kaur aged 37 years w/o Giani Pritam Singh Chamak, Gurudawara Chhati Badsahi, Baramulla, District Baramulla, Sirinagar, J. & K., at present c/o Paramjeet Singh s/o Shri Gurbax Singh, r/o Tikka Chhatehr, village and P. O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

To

The general public.

Whereas in the above noted case the above named applicant have filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of the assets of late Gurbax Singh s/o Shri Amar Singh, r/o Tikka Chhatehr, V. & P.O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, who died on 27-1-1986 at Yol Camp.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any to the grant of such succession certificate in this court on 11-10-1988 at 10 A. M. personally or through an authorised pleader failing which the petition will be heard and disposed of *ex-parte*.

Given under my hand and seal of the court on this 13th day of September, 1988.

Seal. J. N. BAROWALIA,
Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge 1st Class. Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In Civil Suit No. 191/1/1986

Social Finance and Commercial Company Ltd., Regd. Office 29, Rajpur Road Dehradun, U.P. and Branch Office at Paonta Sahib through its Branch Manager Shri O. P. Baluni, Poanta Sahib, Sirmaur, H. P.
..Plaintiff.

Versus

1. Surinder Kumar Thakur s/o Shri Jia Lal Thakur Ward No. 2 Badripur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. 2. Gita Ram Thakur s/o Shri Balak Ram Thakur, r/o village Badripur, Ward No. 2, Paonta Sahib, H.P.

3. Smt. Subhadra Thakur w/o Shri Gita Ram Thakur, resident of village Badripur, Paonta Sahib, Sirmaur, H. P. .. Defendants.

Suit for recovery of Rs. 13027.00 paise only

Whereas in the above noted civil suit, it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defendant No. 1 Surinder Kumar Thakur cannot be served in the ordinary course of service as they are evading the service of summons issued against him.

Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against him to appear in this Court on 6th October, 1988 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which he would be proceed *ex-parte*.

Given under my hand and seal of the court today the 14th September, 1988.

Seal.

V. K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge 1st Class, Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

Case No. 25/1 of 85

State Bank of India a corporation constituted under the state Bank of India Act, 1955 and having one of the its Branches at Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh through its Branch Manager, Shri P. D. Nanda ..Plaintiff.

Versus

Shri Yash Pal Singh Bedi son of Shri Anup Singh c/o 212 Permanent Marg, University Campus, Delhi-9 ..Defendant.

Suit for recovery of Rs. 1601.88

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the service of the above named defendant Shri Yash Pal Singh cannot be affected in the normal course of service. Hence this proclamation is hereby issued against him to appear before his court on 28-10-1988 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against him.

Given under and my hand the seal of this court today this 14th day of September, 198x.

Seal.

V. K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge 1st Class, Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

Suit No. 86/1 of 85

State Bank of India, a corporation constituted under the State Bank of India Act, 1955 and having of its branches at Dhaulakuwan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh through Branch Manager, Shri V. K. Gupta ..Plaintiff.

Versus

Shri Ajay Kumar son of Shri Hans Raj c/o Shri Banarasi Dass, Wine Contractor Camp Yamuna Nagar, District Ambala (Haryana) ..Defendant.

Suit for recovery of Rs, 10,908.95 paise along with costs and future interest on the basis of oral and documentary evidence.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant Shri Ajay Kumar cannot be served in ordinary course of service as he is evading the service of summons issued against him.

Hence this publication/proclamation under order 5, rule 20, C. P. C. is hereby issued against him to appear in this court on 7th October, 1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which he would be proceed *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court today this 14th September, 1988.

Seal.

V. K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Juge 1st Class, Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

Case No. 754/1 of 86

Sharifa wife of Shri Nika, resident of village Kurali, (Bhabhol Singh-Ki-Kurali), Tehsil Naraingarh, District Ambala (Haryana), at present residing with her father Shri Ruldu, r/o Amarkot, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh ..Plaintiff.

Versus

Nika son of Shri Jiju, resident of village Kurali (Bhabhol Singh-Ki-Kurali), Tehsil Naraingarh, District Ambala, (Haryana).

Suit for dissolution of marriage under section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant Shri Nika Ram cannot be served in ordinary course of service as he is evading the service of summons issued against him.

Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against him to appear in this court on 28th October, 1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against him.

Given under my hand and seal of the court today this 14th September, 1988.

Seal.

V. K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge 1st Class, Paonta Sahib, District Sirmaur

Civil Suit No. 113/1 of 86

State Bank of India, a body corporate constituted under the State Bank of India Act, 1955, through its Branch Manager, Shri V. K Gupta, State Bank of India, Dhaulakuwan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh ..Plaintiff.

Versus

1. Shri Vijepal Singh son of Shri Asha Singh, resident of Badri Nagar, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

2. Shri Surjeet Singh son of Shri Santa Singh, resident of Badri Nagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh ..Defendants.

Suit for recovery of Rs. 3,491.18 paise

Whereas in the abovementioned civil suit, it has been

proved to the satisfaction of this court that the service of the above mentioned defendants cannot be affected in the normal course of service. Hence this proclamation is hereby issued against them to appear before this court on 29-10-1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against them.

Given udder my hand and the seal of this court today this 14th day of September, 1988.

Seal.

V. K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Paonta Sahib, District Sirmaur.

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.

In the Court of Shri B. L. Soni, Sub-Judge 1st Class, Rampur Bushahr, District Shimla, H. P.

CIVIL SUIT No. 143-1 of 1986

Smt. Gangi Devi wd/o late Shri Prem Dass. r/o Village Majhawali, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H. P. and others .. Plaintiffs.

Versus

Shri Sidhu Ram son of Shri Suramoo, r/o Majhawali, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H. P. and others .. Defendants.

SUIT FOR DECLARATION

To

1. Smt. Ram Dassi wd/o Shri Palas Ram.
2. Shri Khajoo s/o Nankoo (Both resident of Village Majhawali, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H.P.

Whereas in the above noted suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendants above named are evading the service of the summons and they cannot be served in the normal course of service.

Hence this proclamation is hereby issued against them to appear in this court on 2-11-1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit failing which an *ex-parte* prodeeding will be taken against them.

Given under my hand and the seal of the court today the 16th September, 1988.

Seal.

B. L. SONI,
Sub-Judge 1st Class,
Rampur Bushahr,
District Shimla, H. P.

न्यायालय श्री तरुण श्रीधर, आई० ए० एस, उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं० 41/88 तारीख पेशी 30-8-88

ईश्वर दास बनाम मेहर चन्द आदि

नोटिस बनाम: 1. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री चुनी लाल, 2. मुनीश कौंडल पुत्र चुनी लाल, वासी हार, मौजा लूहना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा।

अभियोग बाबत भूमि तकसीम खाता नम्बरान 350/ 369, 384, 385, 438, 441, 444, 460 महाल वाडी, मौजा लूहना, तहसील वडोह।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किये गए किन्तु उन पर तामील समन न हो सकी तथा न्यायालय को यकीन हो गया है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती। अत. उन्हें इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10-10-88 को प्रात: 10 बजे स्थान कांगड़ा हमारे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजर आ कर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी। उसके पश्चात् कोई उजर या एतराज कावले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-9-88 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

तरुण श्रीधर,
उप-मण्डल समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

न्यायालय श्री तरुण श्रीधर, आई० ए० एस०, उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

मुकदमा नं० 42/88 तारीख पेशी 30-8-88

ईश्वर दास उर्फ ईश्वर बनाम मेहर चन्द उर्फ चन्दू आदि

नोटिस बनाम: 1. श्रीमती चन्द्रकान्ता, सुपुत्री चुनी लाल, 2. श्री मुनीश कौण्डल सुपुत्र चुनी लाल, निवासी हार, मौजा लूहना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा।

अभियोग भूमि तकसीम खाता नं० 29, खतौनी नं० 59, नम्बर खसरा 273, 384, 434, 435, 436, 437, 506, 527, 682, 685. 739, 761, 784, 873, किस्सा 14, तादादी 1-29-03 हैक्टेयर, वाक्या महाल हार, मौजा लूहना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा समन जारी हुए किन्तु उन पर तामील समन न हो सकी तथा न्यायालय को यकीन हो गया है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती। अत: उन्हें इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10-10-88 को प्रात: 10 बजे स्थान कांगड़ा हमारे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी। उसके पश्चात कोई उजर या एतराज कावले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-9-88 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

तरुण श्रीधर,
उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा।

न्यायालय श्री तरुण श्रीधर, आई० ए० एस०, उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 43/88 तारीख पेशी 30-8-88

ईश्वर उर्फ ईश्वर दास बनाम मेहर चन्द उर्फ चन्दू आदि

नोटिस बनाम: 1. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री चन्दू लाल, 2. श्री मुनीश कौण्डल पुत्र चन्दू लाल, वासी हार, मौजा लूहना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा।

अभियोग भूमि तकसीम खाता नम्बर 30, खतौनी नं० 60 से 67, महाल हार, मौजा लूहना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए किन्तु उन पर तामील समन न हो सकी तथा न्यायालय को यकीन हो गया है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती। अत: उन्हें इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10-10-88 को प्रात: 10 बजे स्थान कांगड़ा हमारे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजर आ कर मुकद्दमा की पैरवी

करें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी। उसके पश्चात् कोई उजर या एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-9-88 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। तरुण श्रीधर,
उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

ब अदालत श्री डी0 पी0 बाली, समाहर्ता, उप-मण्डल, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 75/8 तारीख रजूआ : 7-3-87

ओम प्रकाश सुपुत्र श्री किरपा राम निवासी गांव बडोह परगना बसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ..अपीलांट।

बनाम

श्रीमती तारा देवी पत्नी बबली, निवासी अरला, तहसील कसौली, (2) नेत्र सिंह, (3) सीमा देवी, (4) लता देवी मार्फत श्रीमती शांती देवी, निवासी बड़ेहा, परगना बसाल, तहसील कसौली, (5) श्रीमती अनीता देवी पत्नी राजीन्द्र, गांव कैंथड़ी, तहसील सोलन, (6) श्रीमती जानकी देवी पत्नी डी0 आर0 तनवार, निवासी बालूगंज, शिमला, (7) श्रीमती पुर्णीमा सुपुत्री रतन लाल, (8) श्रीमती सन्ध्या, गांव अन्हेच, तहसील सोलन, (9) श्रीमती गीता देवी पत्नी रवीन्द्र, गांव नंगाली, तहसील सोलन, (10) श्री भरत भूषण सुपुत्र रतन लाल, गांव मैण्डील, निवासी सोलन।

इश्तहार अन्तर्गत आज्ञा 5, नियम 20, भारतीय द0 प्र0 स0

उपरोक्त पुनरावेदन में फरीक दोयम काली चरण वगैरा को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 6-10-88 को इस अदालत में असालतन या वकालतन उपस्थित आवें अन्यथा आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, क्योंकि इस अदालत हजा से फरीक दोयम को कई बार समन जारी किए गए थे जो कि बिना तामील के ही वापिस आते रहे हैं। अतः अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीक दोयम पर साधारण तरीके से इत्तलाह होनी कठिन है। इसलिए इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि फरीक दोयम उपरोक्त तारीख को सुबह 10 बजे इस अदालत में उपस्थित आवें और मुकद्दमा की पैरवी करें।

आज दिनांक 17-9-88 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर। डी0 पी0 बाली,
समाहर्ता, उप-मण्डल, सोलन।

ब अदालत श्री डी0 पी0 बाली, समाहर्ता, उप-मण्डल, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा नं0 76/8 तारीख रजुआ 7-3-88

श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव बड़ाह, परगना बसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ..अपीलांट।

बनाम

श्रीमती तारा देवी पत्नी बबली, निवासी अरला, तहसील कसौली, (2) नेत्र सिंह, (3) सीमा देवी, (4) लता देवी मार्फत श्रीमती शांती देवी, निवासी बड़ेहा, परगना बसाल, तहसील कसौली, (5) श्रीमती अनीता देवी पत्नी राजीन्द्र, गांव कैन्थड़ी, तहसील सोलन, (6) श्रीमती जानकी देवी पत्नी डी0 आर0 तनवार, निवासी बालूगंज, शिमला, (7) श्रीमती पुर्णीमा सुपुत्री रतन लाल, (8) श्रीमती सन्ध्या, गांव अन्हेच, तहसील सोलन, (9) श्रीमती गीता देवी पत्नी रविन्द्र, गांव नंगाली, तहसील सोलन, (10) श्रीमती जमना देवी बेवा नरायण दास, (11) जय राम सुपुत्र नामालूम, (12) केशवा राम सुपुत्र नामालूम, (13) सालीग राम सुपुत्र राम करण, (14) श्रीमती सोमा देवी, निवासीयान गांव घाट की बेर, तहसील कसौली, जिला सोलन, (15) श्रीमती धनी देवी सुपुत्री नरायण दास, (16) मीरा देवी, (17) छोटे लाल सुपुत्र व सुपुत्री श्रीमती जमना देवी, निवासीयान गांव अरला, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार अन्तर्गत आज्ञा 5, नियम 20, भारतीय ब0 प्र0 स0

उपरोक्त पुनरावेदन में फरीकदोयम काली चरण बगैरा को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 6-10-88 को इस अदालत में असालतन या वकालतन उपस्थित आवें अन्यथा आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी क्योंकि इस अदालत हजा से फरीक दोयम को कई दफा समन जारी किए गए थे जोकि बिना तामील के ही वापिस आते रहे हैं। अतः अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीक दोयम पर साधारण तरीके से इत्तलाह होनी कठिन है, इसलिए इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि फरीक दोयम उपरोक्त तारीख को सुबह 10 बजे इस अदालत में उपस्थित आवें और मुकद्दमा की पैरवी करें।

आज दिनांक 17-9-88 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर। डी0 पी0 बाली,
समाहर्ता उप-मण्डल, सोलन।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर, कांगड़ा (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा	तारीख पेशी	किस्म मुकद्दमा
शून्य	5-10-88	तकसीम

उमेश कुमार, रमेश कुमार, दिनेश कुमार सुपुत्र व श्रीमती रमना रानी सुपुत्री मथुरा दास कांईस्था, निवासी नगरोटा बगवां, तहसील व जिला कांगड़ा ..सायलान।

बनाम

बशम्भर, लधु राम, बिशन दास, दीना नाथ पिसरान व श्रीमती बिमला देवी सुपुत्री किरपी देवी, बेवा किरपा राम, बलिया सुपुत्र लाभां लछमण सुपुत्र सूका, निवासी घुगर, बीरू सुपुत्र तोतू, निवासी चौकी, मौजा खलेट, रसीला राम, रमेश कुमार पिसरान जोहगल, निवासी भडू, मौजा रानी सिद्धपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ..मसूलअलहम।

दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता नं0 279, खतौनी नम्बरान 904 ता 907 खसरा नम्बरान 1058, 36, 37, 38, 1167, 1457, 1172 किता 7 तादादी 1-28-53 हैक्टेयर वाक्या महाल घुगर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा मुताबिक जमाबन्दी 1982-83।

ब मुकद्दमा उपरोक्त में मसूलअलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं। और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है। अतः उक्त मसूलअलहम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-10-88 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें। वसूरत दीगर कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। सुन्दर सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर (कांगड़ा), हि0 प्र0।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा	तारीख पेशी	किस्म मुकद्दमा
शून्य	5-10-88	तकसीम

उमेश कुमार, रमेश कुमार दिनेश कुमार सुपुत्र व श्रीमती रमना, देवी सुपुत्री मथुरा दास कांईस्था, निवासी नगरोटा बगवां, तहसील व जिला कांगड़ा ..सायलान।

बनाम

बशम्भर, लखू राम, बिशन दास, दीना नाथ पिसरान श्रीमती बिमला देवी सुपुत्री व किरपी देवी बेवा किरपा राम, निवासी घुगर, तहसील पालमपुर, रसीला राम, रमेश कुमार पिसरान जोहगल, निवासी भड्ड, मौजा रानी सिद्धपुर, बलिया सुपुत्र लाभा, भेखू सपुत्र लोभी, श्रीपत सुपुत्र जीता, निवासी महाल घुगर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा

..मसूलअलहम।

दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता नं0 278, खतौनी नम्बरान 898 ता 903, खसरा नम्बरान 1170, 1276, 33, 34, 35, 1274, 1459, 1171, 1452, 1453, 1455, किता 11 तादादी 1-58-97 हैक्टेयर वाक्या महाल घुगर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा मुताबिक जमाबन्दी 1982-83।

ब मुकद्मा उपरोक्त में मसूलअलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है। अतः उक्त मसूलअलहम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-10-88 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्मा करें। बसूरत दीगर कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। सुन्दर सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्मा	तारीख पेशी	किस्म मुकद्मा
10, 11 व 12/88	5-10-88	तकसीम

हुकम चन्द सुपुत्र खजाना सुपुत्र कौला, सकना महाल लौहण्टी, मौजा भौड़ा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ..सायल।

बनाम

1. ओंकार चन्द सुपुत्र अमीं चन्द, (2) टीहरू उपनाम केहर सिंह, सकना लौहण्टी, मौजा भौड़ा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा

..मसूलअलहम।

दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 86 ता 90, खसरा किते 66 सालम भूमि 0-69-98 हैक्टेयर व खाता नं0 38 खतौनी नं0 132 ता 135, खसरा किते 14 सालम भूमि 0-31-26 हैक्टेयर वाक्या महाल सोहरन, मौजा गढ़जमूला, तहसील पालमपुर व खाता नं0 81, खतौनी नं0 383 ता 387, खसरा किते 80 सालम भूमि 0-67-91 व खाता नं0 82, खतौनी नं0 388, खसरा नं0 2609 सालम भूमि 0-01-12 हैक्टेयर जुमला अराजी खसरा किते 81 सालम भूमि 0-69-03 हैक्टेयर वाक्या महाल व मौजा भौड़ा तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब मुकद्मा उपरोक्त में मसूलअलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है। अतः उक्त मसूलअलहम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-10-88 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्मा करें। बसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। सुन्दर सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर (कांगड़ा), हिमाचल प्रदेश

नम्बर मुकद्मा	तारीख पेशी	किस्म मुकद्मा
150/84	5-10-88	तकसीम

ओम प्रकाश, मेहर सिंह, फुमण राम, जोगिन्द्र सिंह, किशोरी लाल पिसरान श्रीमती अजुधी देवी विधवा व घुंगरी देवी सुपुत्री सुखिया, सकना हैन्जा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..सायल।

बमाम

मोती राम, अमर सिंह, जगत राम, केहर सिंह, कुशल सिंह, कर्म सिंह, उधम सिंह पिसरान, किरपी देवी विधवा व केसरी देवी पुत्री हुरमत, तरलोक चन्द, सुभाष चन्द, काली दास पिसरान व मीना देवी सुपुत्री सीता राम, सकना हैन्जा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..मसूलअलहम।

दरख्वास्त तकसीम भूमि मुन्द्रजा खाता नं0 28, खतौनी नम्बरान 49 ता 52, खसरा किते 40 रकबा तादादी 1-75-06 हैक्टेयर वाक्या महाल हैन्जा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब मुकद्मा उपरोक्त में मसूलअलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है। अतः उक्त मसूलअलहम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-10-88 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्मा करें। बसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-9-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। सुन्दर सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, कांगड़ा, हि0 प्र0।

H. P. STATE BOARD FOR PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLLUTION 'HOTEL KINGS" TOP FLOOR, THE MALL, SHIMLA-171001

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 24th September, 1987

No. WPCB-2/76-VIII/6991-99.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) (g) of Section-17 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the H. P. State Board for the Prevention and Control of Water Pollution, in its XIX meeting held on 21st January, 1987 approved adoption of the following Ambient Air Quality Standards.

When monitored uniformly over the 12 months of an year with a frequency of not less than once in a week, with a sampling time of eight hours for any sample and analysed according to procedure specified by the Centra !Board for Prevention and Control of Water Pollution, the concentrations for the following pollutants shall be 95% of the time within the limits prescribed bellow:—

Area	Catagory	Concentration micrograms per metre cube			
		SPM	SO_2	Co	ND x
A	Industrial & mixed use	500	120	5000	120
B	Residential and rural	200	80	2000	80
C	Sensitive	100	30	1000	30

Whenever and wherever three consecutive measurements spaced by at least one week apart or any three

out of 10 consecutive measurements spaced by at least one week apart are fouud to exceed limits specified above for the respective categorv, it would be considered adequate reason to institute regular weekly/ continuous monitoring and further inve.tigations.

Category (A) will become self evident on the intensity of industrial activity in an area category (C) will cover hill stations, tourist resorts, sanctuaries, national parks, national monuments, health resorts and other such areas where the nation would wish to conserve its clean environment.

All areas not specifically included in category (A) and (C) above will be automatically deemed to fall in category (B).

Sd/-
Member-Secretary.

Shimla-1, the 3rd March, 1988

No. WPCB/Misc/Veh. Pollution/88.-11760-84.—As approved by the H. P. State Board for the Prevention and Control of Pollution, in its XXI meeting held on 12th November, 1987. The emission standards for automobiles to be adopted in Himachal Pradesh are hereby notified for the information of all to whom it may concern:—

1. PETROL DRIVEN:

Vehicles have been classified in the following three categories:—

Category I—Two and three wheeler vehicles with engine displacement less than 50 cm.

Category II—Two and three wheeler vehicles—all vehicles except those in Category I.

Category III—Four wheeler vehicles *eg.* cars, Jeeps, light commercial ve .icles etc.

The following commission limits (present by Volume) under idling shall apply:—

PRODUCTION VEHICLES (ZERO) KILOMETER RUN

Category	Effective Date	
	January, 86	January, 87
I	5.5%	5.0%
II	4.5%	4.5%
III	4.5%	3.5%
IN-USE VEHICLES:		
I	6.0%	5.0%
II	5.5%	4.5%
III	5.0%	4.0%

2. DIESEL DRIVEN
SMOKE STANDARDS

For the purpose of this standard, the density limits have been specified for the vehicles at produ tion stage and in-use vehicles. The following limits shall apply for this purpose:—

Effective Date	Production Vehicles	In-use Vehicles
January, 86	65 HSU	75 HSU
January, 87	60 HSU	70 HSU

Sd/-
Member Secretary.

HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd May, 1988

No. HPFC/21-100/79-III.—Whearas M/s Himachal Paper Products, 5, Industrial Area, Barotiwala, District Solan, Himachal Pradesh, a partnership concern of Shri Pawan Kumar Jain s/o Shri Hira Lal Jain, Smt. Shakuntla Jain w/o Shri Pawan Kumar Jain, both r/o H. No. 1243, Sector 19-B, Chandigarh and Shri Hira Lal Jain s/o Shri Tara Chand Jain, r/o 2213/1, Mohalla Jorian Bhattian, Patiala (Punjab) were sanctioned a loan of Rs. 4.31 lacs (Rupees four lacs thirty-one thousand only) by the Himachal Pradesh Financial Corporation for the construction of factory building and purchase of plant and machinery for setting up a unit for the manufacture of various kinds of paper products at Barotiwala, out of which the concern availed an amount of Rs. 4,28,080/- from 1-2-78 to 1-6-80;

And whereas for securing the repayment of said loan and interest thereon, the said industrial concern executed a mortgage deed dated 3-2-1978 registered with the Sub-Registrar, Kasauli and read with Indenture dated 27-12-1978 and 1-7-1982, in favour of the Corporation, mortgaging the properties of the industrial concern, main items of which are mentioned in Sehedule 'A' hereunder. In the said documents, it was *inter alia* agreed by the said industrial concern that repayment of the loan amount would be made in accordance with the repayment schedule entered in the said agreement besides interest;

And whereas the said industrial concern has committed defaults in repayment of the loan amount according to the said repa ment schedule and also of interest and has not so far cared to clear the outstanding dues despite demands and notices sent to it and whereas according to the terms of the aforesaid documents, the entire amount together with interest upto the day of realisation of the full amount has become due for payment at once which has accumulated to Rs. 8,06,606.49 as on 20-1-88 including interest upto 9-12-87.

Therefore, the Himachal Pradesh Financial Corporation has decided to take over t e possession of the mortgaged assets of the said industrial unit M/s Himachal Pradesh Products, 5, Industrial Area, Barotiwala, District Solan (H.P.) under section 29 of the State Fi ancial Corporations Act, 1951 (Central Act No. 63 of 1951) with a right to transfer by way of lease or sale of the property mortgaged under the said documents to the Himachal Pra esh Financial Corporation and realise therefrom its outstanding dues, in case the said industrial unit fails to clear its outstanding liability to the corporation within fifteen days from the date of publication of this notification:—

SCHEDULE 'A'

Details of motorgaged/hypothecated properties hereinabove referred to

Lease-hold rights of land measuring 1890 sq. mtrs. comprised in Plot No. 5, Industrial Area, Barotiwala, District Solan (H P.) along with all structures, plant, factories thereon and machinery as detailed below:—

1. Three colour Rotogravure 12 Design engraved cylinder and 5 HP Motor.
2. Automatic paper Bag making machine with attached one colour rotogravure and one colour flexo printing.

   Flat plates in seven, different sizes Satchel plates in five differents sizes Additional size gears.

   Design engraved printing cylinders Additional flexo design rollers Electric Motor.
3. Roll waxing Unit 30' capacity, Extra feed tank, oil tank heated, Chilling arrangement (two

water tanks and a water lifting pump), Electric Motor.

4. Fare colour flexo graphic printing machine with rewinding and sheeting.

Additional flexo design rollers, Stereo Press and Design grinder Electric Motor.

5. Slitting machine and Electric motor.

6. Two Printing machines, two sets of rubber rollers.

Cutting machine 32" Blocks, type and other Printing accessories.
Electric Motor.

Sd/-
Managing Director.

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग-1

EDUCATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 11th April, 1988

No. Kha(3)45/82 Edu-A(PF).—Please *read* for the figures Rs. 1775—2200 *appearing* in notification of even number, dated 23rd December, 1987.

Sd/-
Financial Commissioner-cum-Secretary.

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 1988

संख्या विद्युत-छ(5)-41/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0), जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मुहाल बंरगाल, ह0 ब0 नं0 38, तहसील सलूणी, जिला चम्बा में चमेरा जल विद्युत परियोजना के जलाशय क्षेत्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फूट्स, डाकखाना सुलतानपुर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील: सलूणी

मौजा	खसरा संख्या	क्षेत्र बी0	बि0
1	2	3	4
बंरगाल	81	0	6
(38).	82	0	2
	84	0	2
	85	0	2
	87	2	0
	88	0	1
	89	0	2
	90	0	11
	92	0	16
	93	0	2
	94	0	1
	95	0	9
	977/98	0	2
	107	0	2
	108	0	1
	109	0	4
	110	0	1
	843	0	1
	844	0	1
	845	0	1
	846	0	3
	847/1	0	1
	847/2	0	2
	848/1	0	1
	848/2	0	1
	848/3	0	1
	848/4	0	3
	864	7	9
	895	0	3
	896	0	4
	897	1	3
	898	0	8
	899	0	13
	900	0	10
	901/1	0	19

1	2	3	4
	902	3	18
	903	7	19
	904	15	18
	905	0	1
	906	0	3
	907/1	0	3
	907/2	0	1
	907/3	0	1
	908	0	18
	909	2	19
	910	1	4
	911	0	7
	912	0	1
	913	13	4
	914	0	7
	915	0	11
	916	0	3
	917	0	14
	918	1	8
	919	0	5
	921	0	6
	922	1	1
	923	0	17
	924	0	6
	925	0	6
	926	0	3
	927	0	9
	928	0	3
	929	0	8
	930	2	5
	931	0	7
	932	1	17
	424/934/1	33	15
	935	0	1
	936	0	1
	937	7	11
	938	0	1
	939	3	8
	940	0	9
	941	0	3
	942	0	1
	943	0	3
	944	3	13
किल्ला ..	78	125	7

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 21*st September*, 1988

No. Pub. 4(B) 4-4/80 —On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm Shri Keshav Narain as Editor Class II Gazetted in the pay scale of Rs. 825—1580, with immediate effect.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla 2, *the* 22*nd September*, 1988

No. 3-51/84-PSC(R).—It is notified for general information that the following candidates have been recommended for appointment in the Himachal Pradesh Judicial ervice on the basis of the H. P. Judicial Service Examination 1987—88:—

Sl. No.	Roll No.	Name of candidate
1.	423	Shri Suresh Kumar Gupta
2.	422	Shri Shyam Sunder
3.	204	Shri Kiran Pal Singh
4.	339	Shri Rajeev Bhardwaj
5.	304	Shri Purender Vaidya
6.	21	Shri Ashwani Kumar Sharma
7.	337	Shri Rajinder Kumar Sharma
8.	358	Shri Rajesh Kumar Verma
9.	199	Shri Kali Kishore Sharma
10.	311	Shri Prithvi Raj Sharma

These candidates have been arranged in order of merit.

Issued on behalf and by order of the Himachal Pradesh Public Service Commission.

V. K. BANSAL,
Secretary.

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 22*nd September*, 1988

No. PLG (B)9-1/83.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm Shri D. R. Bushehri, Deputy Director (Planning) against the permanent post of Deputy Director (Planning) in the pay scale of Rs. 940-30-1000-40-1200/50-1400/60-1700-75-1850 (Class-I Gazetted) in the State Planning Machinery, Planning Department with immediate effect.

M. K. KAW.
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 6-26/84-टी० पी० टी०, दिनांक 27 सितम्बर, 1988.	परिवहन विभाग	हिमाचल प्रदेश में यथा प्रायोजित पंजाब मोटर यान नियम, 1940 में और आगे संशोधन करने के लिये प्रस्तावित संशोधन ।
No. Agr. A (4)-9/86, dated 29th August, 1988.	Agriculture Department	Terms and conditions for the payment of TA/DA to Non-official Members of the Himachal Pradesh, Marketing Board.
संख्या 5-1/70-कोप (एस)-II, दिनांक 23 सितम्बर, 1988.	सहकारिता विभाग	हिमाचल प्रदेश भांडागार (संशोधन) नियम, 1988, इसके प्राधिकृत अंग्रेजी रूपान्तर सहित ।
संख्या उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 6 फरवरी, 1988.	उद्यान विभाग	हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवायें नियम, 1988.
संख्या एस० टी० वी० (टी० ई०) बी० (2) 7/85, दिनांक 7 दिसम्बर, 1987.	तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-3 अराजपत्रित (अनुसचवीय) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1987.

लेखन सामग्री, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।